न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/107/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/186

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
श्री कुडियाराम सैनी, नि0 ए–21, धोली दूब, श्री लालदास नगर, अलवर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, तिजारा हाल **उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)**

प्रवेश तिथि :: 22.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 29.08.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 14.06.2022 के माध्यम से सहायक कलक्टर, तिजारा को संबोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायिक पत्रावली, मु0 नं0 1/385/91 निर्णय दिनांकः 03.02.1997 की सम्पूर्ण सूचना, निर्णय, डिक्री पर्चा एवं पारिवारिक समझौता सभी की 03 प्रतियों में सूचना चाही गई थी।
4. **प्राप्त जानकारी अनुसार सहायक कलक्टर तिजारा कार्यालय दिनांकः 05.09.1998 से उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर) में तब्दील हो चुका है।**
5. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 20.07.2022 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. उक्त अपील के अनुसरण में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
7. इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गंभीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 14.06.2022 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात सूचना उपलब्ध नहीं कराने का युंक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नही की है जो उच्चाधिकारियों के आदेशों के प्रति प्रत्यर्थी कार्यालय की उदासीनता एवं लापरवाही का परिचायक है।
8. अस्तु अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 14.06.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में प्रश्नगत पत्रावली अविलम्ब तलाश कराई जाकर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में वांछित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को निःशुल्क ही अधिप्रमाणित करते हुए पंजीकृत–पत्र के जरिये उपलब्ध करा दी जावे अन्यथा स्थिति में तदनुसार अपीलार्थी को सूचित करें।
9. निर्णय घोषित ।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 29.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

न्या० अ०० एवं अति० जि० क० (द्वि०) अलवर
राजस्थान
सरकार